क्रम संख्या–108

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 2003 ई0

आषाढ़ 19, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 273/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 10 जुलाई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट आफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को दिनांक 08–07–03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003
(अधिनियम सं0 16, वर्ष 2003)

राज्य में इक्फाई (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट्स ऑफ इण्डिया) हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय जिसमें अनुप्रयुक्त वित्तीय प्रबन्धन, सामान्य प्रबन्धन, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय तथा उद्योग से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जायेगा और उसे निगमित करने एवं उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम "इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003" कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ